

न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, ढाउदनगर।

जी०आर०नं०:-८२१/२०१९

ढाउदनगर थाना कांड संख्या :-३३९/२०१९

०७.०२.२०२० आवेदक जप्त पोकलेन मशीन मॉडल नं०-Sany SY210 C-9LR, Serial NO-15SEYO21004051 के मालिक हफीज अंसारी की ओर से उपस्थिति पत्र के साथ उक्त वाद में जप्त पोकलेन मशीन मॉडल नं०-Sany SY210 C-9LR, Serial NO-15SEYO21004051 की मुक्ति हेतु दाखिल आवेदन दिनांक-२६.११.२०१९ को संचालित करने हेतु एक आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदा० को दी गई ।

उपरोक्त आवेदन दिनांक-२६.११.२०१९ के आलोक में आवेदक हफीज अंसारी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि उक्त जप्त पोकलेन मशीन मॉडल नं०-Sany SY210 C-9LR, Serial NO-15SEYO21004051 ढाउदनगर थाना द्वारा जप्त कर लिया गया है । उक्त पोकलेन मशीन का स्वामी उक्त आवेदक है । अतः आवेदक के पक्ष में उक्त पोकलेन मशीन को मुक्त किया जाय । पोकलेन मशीन की मुक्ति हेतु न्यायालय के आदेश का आवेदक अक्षरशः पालन करेगा ।

उक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना । अभिलेख का परीक्षण किया, जिससे विदित होता है कि उक्त पोकलेन मशीन मॉडल नं०-Sany SY210 C-9LR, Serial NO- 15SEYO21004051 ढाउदनगर थाना में जप्त है । उक्त पोकलेन मशीन का जप्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है । उक्त पोकलेन मशीन के सम्बन्ध में, सम्बन्धित थाना द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन दर्शित किया गया है कि "उक्त पोकलेन मशीन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है तथा मुक्त किया जा सकता है ।" उक्त वाद में अन्य पोकलेन मशीन से सम्बन्धित जिला पदाधिकारी एवं समाहर्ता, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक-४६३/विधि दिनांक-२९.०१.२०२० के द्वारा समर्पित किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त वाद में जप्त पोकलेन मशीन के विक्रम राजसात की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । आवेदक की ओर से उक्त पोकलेन मशीन का आ०टी०ओ० प्रमाण पत्र, इन्वॉयस नं० एवं बीमा प्रमाण पत्र की मूल प्रति दाखिल किया गया है, जिससे विदित होता है कि उक्त पोकलेन मशीन का नम्बर अनुसंधानकर्ता के प्रतिवेदन के अनुसार है । उक्त मशीन की बीमा की वैधता दिनांक:-०१.१०.२०२० की मध्य रात्रि तक है । उक्त पोकलेन मशीन की मूल दस्तावेज मिलान करने के उपरांत, मूल दस्तावेज आवेदक को वापस कर दिया गया ।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उक्त आवेदक हफीज अंसारी के पक्ष में उक्त जप्त पोकलेन मशीन मॉडल नं०-Sany SY210 C-9LR, Serial NO-15SEYO21004051 को मुक्त करना न्यायोचित समझता हूँ । ऐसी स्थिति में आवेदक हफीज अंसारी के पक्ष में उक्त पोकलेन मशीन मॉडल नं०-Sany SY210 C-9LR, Serial NO-15SEYO21004051 को मो०-४५,००००X१ के समान राशि के क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि उक्त पोकलेन मशीन की आ०टी०ओ० प्रमाण पत्र की प्रति, इन्वॉयस नं० एवं बीमा की प्रति की छायाप्रति की सत्यापित प्रति जो गजटेड पदाधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो, दाखिल करें । आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र भी दाखिल करेगा कि उक्त पोकलेन मशीन की मुक्ति के पश्चात् वाद के निष्पादन तक उसके बंगरूप-स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बिक्रय नहीं करेगा, न्यायालय द्वारा मांग किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा एवं पोकलेन मशीन के सम्बन्ध में जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह सत्य है ।

थाना प्रभारी ढाउदनगर को निर्देश दिया जाता है कि उचित पहचान पर आवेदक के पक्ष में उक्त निबंधन संख्या से सम्बन्धित जप्त पोकलेन मशीन को पंचनामा के तहत मुक्त करें ।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र दाखिल करने एवं स्वीकृति उपरांत उक्त आदेश के आलोक में मुक्ति आदेश निर्गत करें ।